सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रूद्रपुर **"सैप्टेज मैनेजमेन्ट रेगुलेशन 2019"** के नियम संख्या 5.4.1(c)(d) के तहत नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त सैप्टिक टैंक स्वामियों द्वारा अपने भवन में स्थित सैप्टिक टेंक को केवल नगर निगम रूद्रपुर में पंजीकृत डीस्लजिंग वाहन से ही खाली कराना है तथा समस्त पंजीकृत डीस्लजिंग वाहन स्वामी द्वारा अपने टेंकर को **वार्ड सं0 12 औद्योगिक क्षेत्र मे स्थापित रूद्रपुर सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट** पर खाली करना अनिवार्य है। रूद्रपुर सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पर उक्त अनुसार प्राप्त सैप्टेज का वैज्ञानिक शोधन कर खाद तैयार की जाती है। यदि कोई भवन में निर्मित सैप्टिक टैंक स्वामी व डीस्लजिंग वाहन स्वामी ऐसा नहीं करता/करती है एवं उक्त प्राप्त सैप्टेज को खुले स्थानों, जल प्रवन्धक स्थलों आदि स्थानों पर खाली करते हुए पाये जाते है, तो उसके विरूद्ध **नगर निगम रूद्रपुर सैप्टेज मैनेजमेन्ट रेगुलेशन 2019** के नियमानुसार वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त उपनियम का उल्लघंन करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा वसूला जायेगा। नगर निगम रूद्रपुर **"सैप्टेज मैनेजमेन्ट रेगुलेशन 2019"** की विस्तृत जानकारी नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

सूचित होवें।

–ह0–
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर

–ह0–
जिलाधिकारी/प्रशासक
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

Tele- 05944-242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांकः 1526/स्वा0अनु0/2024–25

दिनांक–30 अगस्त, 2024

प्रतिलिपी–

1 – जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2– मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3– मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4– नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय में सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5– सम्पादक "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में 08x06 साईज में न्यूनतम दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– श्री कमल तिवारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सूचना को नगर निगम की वेबसाईट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर